न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 56 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
मलसिंह गोदपुत्र भीमसिंह प्राकृतिक पिता भंवरसिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी मिठड़ा महाबार तहसील व जिला बाड़मेर	1. हरजीराम पुत्र अगराराम 2. गेनाराम पुत्र अगराराम जाति मेघवाल निवासी माहाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 3. मूलाराम पुत्र अचलाराम 4. जोगाराम पुत्र अचलाराम 5. मानाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 6. रायमलराम पुत्र रामाराम 7. पुरखाराम पुत्र रामाराम 8. बागाराम पुत्र भेराराम 9. धीराराम पुत्र भेराराम 10. मानीदेवी पत्नी भेराराम जाति जाट (बेनिवाल) निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 11. कमलसिंह पुत्र लखसिंह 12. सुरतानसिंह पुत्र लखसिंह 13. गोरधनसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबन्धक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा महाबार 15. तहसीलदार, बाड़मेर 16. उपपंजीयक, बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 100 / 2012 बउनवान मलसिंह बनाम हरजीराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध पेश।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुखदेव जाखड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—26.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के गोद पिता भीमसिंह व सगे भाई भंवरसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1825 रकबा 166.18 बीघा मौजा महाबार में वक्त सेटलमेंट से आई हुई थी। वादग्रस्त भूमि में अपीलांट के गोद पिता भीमसिंह का 1/2 हिस्सा व भंवरसिंह का 1/2 हिस्सा था। वर्ष 1982

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के गोद पिता भीमसिंह की मृत्यु हो गई। जिसका नामांतकरण संख्या 924 गलत भरा गया। अपीलांट के प्राकृतिक पिता ने चालाकी कर नामांतकरण भरते समय अपीलांट के गोद पिता भीमसिंह को कुवारा लाऔलाद फौत बताकर स्वयं को सगा भाई बताकर भंवरसिंह ने अपने नाम नामांतकरण पारित करवा दिया जिसका अपीलांट को उस समय कोई ध्यान नहीं रहा उसे अपने प्राकृतिक पिता पर विश्वास था। अपीलाधीन वाद पेश करने से एक माह पूर्व अपीलांट को उक्त हकीकत का पता चला। यह भी पता चला कि अपीलांट के प्राकृतिक पिता ने एक ही दिन दिनांक 10.07.1996 को उत्तरदाता संख्या 01 से 13 को रजिस्टर्ड बेचान से सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर अपने हिस्से की घोषणा करवाने की इस्तदुआ चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट महाबार में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 26.05.2017 केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय महाबार में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी। आलोच्य आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 06.02.2019 को नकलें मांगी गई जो दिनांक 12.06.2019 को प्राप्त हुई, नकलें प्राप्त होने तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर वहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय महाबार में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। अपीलांट/वादी ने अपने आप को गोद पुत्र बताकर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में वक्त गोद जाने से ही हक पैदा हो गया के बिंदु को निस्तारित करवाने हेतु वाद पेश किया गया। गोद जाना प्रमाणित होता है तो उसके पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभतः शून्य एवं निष्प्रभावी (Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 100/2012 बउनवान मलसिंह बनाम हरजीराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

26/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर